"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2013— फाल्गुन 17, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, फखरूद्दीन कुरैशी पिता श्री नसीरूद्दीन कुरैशी, आयु-31 वर्ष, निवासी- एल. आई. जी.-14, इन्द्रावती कालोनी, राजा तालाब, रायपुर (छ. ग.) का हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व शासकीय तथा अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम "फखरूद्दीन" अंकित है यह कि मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम "कुरैशी" जोड़कर अपना नाम "फखरूद्दीन कुरैशी" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे फखरूद्दीन कुरैशी पिता नसीरूद्दीन कुरैशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

फखरूद्दीन
(FAKHRUDDIN)
पिता- श्री नसीरूद्दीन कुरैशी
निवासी-एल. आई. जी.-14
इन्द्रावती कालोनी, राजा तालाब
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

फखरूद्दीन कुरैशी
(FAKHRUDDIN QURESHI)
पिता- श्री नसीरूद्दीन कुरैशी
निवासी-एल. आई. जी.-14
इन्द्रावती कालोनी, राजा तालाब
रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-2013

क्रमांक/301/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अकरम वसीम सिद्धीकी पिता अब्दुल कुदूस **सिद्धीकी,** निवासी सुन्दर नगर, रायपुर द्वारा "ए. क्यू. एस. फाउण्डेशन" सिद्धीकी एण्ड एसोसिएट्स, लाल गंगा शॉपिंग मॉल के पीछे, मार्डन एक्सरे के पास में, **जी. ई. रोड़,** रायपुर का छ. ग. लोक न्याय अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनसुार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप **में पंजीयन** कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"ए. क्यू. एस. फाउण्डेशन" सिद्धीकी एण्ड एसोसिएट्स, लाल गंगा शॉपिंग मॉल के पीछे, मार्डन एक्सरे के पास में, जी. ई. रोड़, रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 19-03-2013 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 14-02-2013 को जारी.

एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.